संख्या: 761/लो.नि.-1/03-27(प्रा.आ.)/2003

प्रेषक,

टी. के. पंत,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 8 जनवरी 2004

विषय: **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर लिंक रोड (अवशेष 5.00 कि.मी.) के पक्कीकरण एवं सुधार कार्य की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लाक मुख्यालय मुख्य जिला मार्ग संख्या-40 दुगड्डा, लक्ष्मणझूला बैराज मोटर मार्ग के कि0मी0 56 से सम्पर्क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रथम 5 कि.मी. मोटर मार्ग एवं 2 कि.मी. इल्का वाहन मार्ग के रुप में पूर्व से निर्मित है। प्रश्नगत् मार्ग के 2.00 कि0मी0 कच्चे भाग के पक्कीकरण कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या 8448/लो.नि.-2/02-95(प्रा0आ0)/2002 दिनांक 19.12.2002 द्वारा प्रदान की गयी थी।

उपरोक्त के क्रम में प्रश्नगत् कार्य के अवशेष 5.00 कि0मी0 भाग के पक्कीकरण एवं सुधार कार्य हेतु शासन को उपलब्ध कराये गये आगणन रु0 188.30 लाख के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रु0 73.25 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 5.00 लाख (रुपये पांच लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की भी स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृत करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
2. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
3. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
4. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकता एवं प्राप्त निर्देशों के अनुरुप कार्य किया जाय।
5. आगणन में जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है, व्यय उन्हीं मदों पर किया जाय। एक मद की राशि दूसरे मदों पर कदाचित व्यय न की जाय।
6. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय कार्य की गुणवत्ता का पूर्व उत्तरदायित्व निर्माण ऐजेन्सी /सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

क्रमशः...2

7. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर परचेज रूल्स, टेण्डर आदि विषयक नियम एवं अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।
9. प्रश्नगत निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक– 5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
10. यह आदेश वित्त विभाग अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन के के अ0शा0प0सं0 2261/वित्त अनुभाग–3/2003 दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टी0के0 पन्त)
उप सचिव।

संख्या: 761 (1) /लो.नि.–1/03 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लो0नि0वि0, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
5. श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग।
6. अधीक्षण अभियन्ता 36वाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
7. वित्त अनुभाग–3/ वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0के0 पन्त)
उप सचिव।